

तारीख
हुक्म

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जाज
एम.एल. गुर्जर निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
प्रकरण संख्या :- 07 / 2024
जीसीएमएस नं. :- 2024 / 10
(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

—: निर्णय :-

13-3-24

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित ।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 20.11.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु आवेदन से वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा से सर्वाधिक होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को अंतरित किया गया, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है ।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक /सू०अ०/2024 /427 दिनांक 26.02.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 02.02.2024 को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी प्रार्थित रसीद स्वयं प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त कर प्राप्ति रसीद जरिये हस्ताक्षर दी गई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने से उन्हें पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में प्रथम अपील प्रकरणों में इस न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
6. निर्णय आज दिनांक 13-3-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।



(नमित मेहता)

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी
जिसका कलक्टर, भीलवाड़ा
लोक सूचना एवं निवासी
भीलवाड़ा